



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072020-220308
CG-DL-E-01072020-220308

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 237]
No. 237]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 2020/आषाढ़ 10, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 2020/ASHADHA 10, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून 2020

फा. सं. पीएनजीआरबी/प्राधिकरण/1-सीजीडी(06)/2020.— पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोर्ड पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) विनियम, 2008 को और आगे संशोधित करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभण -

- (1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) संशोधन विनियम, 2020 कहा जाएगा।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) विनियम, 2008 में,-

(i) विनियम 2 (छ) में निम्नलिखित परंतुक सम्मिलित होगा, नामतः :-

"बशर्ते यदि प्राधिकृत भौगोलिक क्षेत्र के बाहर नगर गैस स्टेशन स्थापित किया जाता है तो नगर गैस स्टेशन से प्राधिकृत नगर गैस वितरण नेटवर्क से जुड़ने वाली पाइपलाइन को नगर गैस वितरण नेटवर्क का एक भाग माना जाएगा। तथापि प्राधिकृत इकाई अपने भौगोलिक क्षेत्र के बाहर पाइपलाइन से किसी भी ग्राहक को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति नहीं करेगी।"

वन्दना शर्मा, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./103/2020-21]

पाद टिप्पणी: मूल विनियमों को जी.एस.आर. 612 (ई), दिनांक 27 अगस्त, 2008 द्वारा अधिसूचित किया गया था और तत्पश्चात् जीएसआर 750 (ई), दिनांक 14.10.2009 और फा.संख्या एम(1)/टी4एस/सीजीडी/1/2010, दिनांक 16.12.2014 और फा. संख्या एल-एमआईएस सी/VI/1/2007, दिनांक 01.01.2015 और फा. संख्या एम(1)/टी4एस/सीजीडी/1/2010, दिनांक 09.03.2016 और फा. संख्या एम(1)/टी4एस/सीजीडी/1/2010, दिनांक 24.11.2016 और फा. संख्या पीएनजीआरबी/तकनीकी/1-टी4एससीजीडी/(1)/2019, दिनांक 07.11.2019 के माध्यम से संशोधित किया गया था।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2020

F. No. PNGRB/Auth/1-CGD(06)/2020.—In exercise of the powers conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations further to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, namely:—

1. Short title and commencement

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008,—

(i) in regulation 2 (g), the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided that if CGS is established outside the Authorized Geographical Area then pipeline connecting from CGS to authorized CGD network shall be considered as a part of CGD network, however the authorized entity shall not supply natural gas to any customer from the pipeline outside its geographical area.”

VANDANA SHARMA, Secy.

[ADVT-III/4/Exty./103/2020-21]

Foot Note: The Principal regulations were notified vide G.S.R. 612(E), dated 27.08.2008, and subsequently amended vide G.S.R. 750(E), dated 14.10.2009 and F. No. M(I)/T4S/CGD/1/2010, dated 16-12-2014 and F. No. L-MISC/VI/1/2007, dated 01.01.2015 and F. No. M(I)/T4S/CGD/1/2010, dated 09.03.2016 and F.No. M(I)/T4S/CGD/1/2010, dated 24.11.2016 and F. No. PNGRB/Tech/1-T4SCGD/(1)/2019, dated 07.11.2019. .